



इलाहाबाद उच्च न्यायालय,

रिट - ए संख्या - **4500** वर्ष **2023** (मुख्य)

रेनू सिंहयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कृपा शंकर पाण्डेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

साथ में

रिट - ए संख्या - **8690** वर्ष **2025** (सम्बद्ध सी-1)

रेनू सिंहयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कृपा शंकर पाण्डेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

तथा

रिट - ए संख्या - **12622** वर्ष **2025** (सम्बद्ध सी-2)

रेनू सिंहयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कृपा शंकर पाण्डेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

तथा

रिट - ए संख्या - **17436** वर्ष **2025** (सम्बद्ध सी-3)

रेनू सिंहयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कृपा शंकर पाण्डेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



न्यायालय संख्या – 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. मुख्य, सम्बद्ध सी-1, सी-2 एवं सी-3 याचिकाओं में याचिकाकर्ता की ओर से श्री कृपा शंकर पाण्डेय तथा राज्य की ओर से श्री गौरव सिंह एवं श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, अधिवक्ता को सुना गया।
2. पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से यह कहा गया कि वे कोई हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ही याचिकाओं का निस्तारण किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से याचिकाओं का निस्तारण प्रवेश/प्रारंभिक स्तर पर ही किया गया।
4. याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें 26.08.2010 को जनपद मिर्जापुर में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति छात्रावास में अधीक्षिका के पद पर नियुक्त किया गया। उनके अनुसार उच्च अधिकारियों द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार होने के कारण उन्होंने 14.05.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को शिकायत की। इस शिकायत के प्रतिशोध में उनके विरुद्ध थाना हजरतगंज, लखनऊ में अपराध संख्या 0171/2022 धारा 384, 504, 506 भा.दं.सं. एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा 66 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 3076/2022 दाखिल की, जिसमें 26.05.2022 को आदेश पारित हुआ, जिसमें—

“संशोधन आवेदन पर आदेश

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को सुना गया।

संशोधन आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे आज ही दिन में संशोधन कर लें।

याचिका-पत्र (मेमो ऑफ पिटीशन) पर आदेश

पूरक शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

वर्तमान याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने प्रकृति की रिट जारी कर विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 0171/2022, धारा 384, 504, 506 भा.दं.सं. एवं सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 66 के अंतर्गत, थाना हजरतगंज, जनपद लखनऊ में पंजीकृत एफ.आई.आर. को निरस्त करने की प्रार्थना की है। निर्देश प्राप्त करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया था, किन्तु कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ। प्रत्युत्तर में, अपर सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि 24.05.2022 को संबंधित प्राधिकारियों को पत्र भेजा गया था, परंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

उपरोक्त परिस्थितियों में, हमें यह मानते हुए कि संबंधित प्राधिकारी इस समय कुछ कहना नहीं चाहते, मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।

हमने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित अपर सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

यह प्रस्तुत किया गया कि एफ.आई.आर. का साधारण अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप अत्यंत अस्पष्ट एवं अनिश्चित प्रकृति के हैं और आरोपित धाराओं के अंतर्गत कोई अपराध सिद्ध नहीं होता। यह भी कहा गया कि एफ.आई.आर. याचिकाकर्ता द्वारा 14.05.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को लिखे गए पत्र में विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के प्रतिशोध में दर्ज की गई है, जो कि याचिका के परिशिष्ट संख्या-18 के रूप में अभिलेख पर है। पूरक शपथपत्र के परिशिष्ट एसए-1 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दिनांक 19.05.2022 को समाज कल्याण निदेशक, उत्तर

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रदेश, लखनऊ द्वारा याचिकाकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण हेतु के अंतर्गत निर्देश जारी किया गया था।

हालांकि, हमने न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित याचिकाकर्ता रेनु सिंह से विस्तृत बातचीत की। इस दौरान कोई भी प्रतिकूल बात सामने नहीं आई तथा याचिकाकर्ता पूर्णतः स्वस्थ, शांत एवं स्पष्ट प्रतीत हुई। अतः दिनांक 19.05.2022 का उक्त निर्देश, आगामी आदेश तक प्रभावी नहीं किया जाएगा। यह प्रथा कि बिना किसी ठोस आधार के किसी नागरिक/याचिकाकर्ता की छवि को खराब करने हेतु इस प्रकार के निर्देश दिए जाएं, अत्यंत निंदनीय है।

अभिलेख पर लाया गया पूरक शपथपत्र तथा याचिका की सामग्री स्वयं यह दर्शाती है कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध दुर्भावना उत्पन्न की गई है।

याचिकाकर्ता रेनु सिंह 46 वर्ष की महिला हैं और उन्होंने उच्च अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसका प्रभाव उनके द्वारा दिनांक 14.05.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को भेजे गए पत्र (परिशिष्ट-18) से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। उक्त पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने विभाग के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध अत्यंत गंभीर आरोप लगाए हैं, जिन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। अतः हम निर्देश देते हैं कि उक्त पत्र के आधार पर विधिवत जांच प्रारंभ की जाए और इसकी निगरानी मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश द्वारा की जाए। यह भी निर्देशित किया जाता है कि मुख्य सचिव के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत, हम मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देते हैं कि वे याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों का संज्ञान लें और निष्पक्ष जांच कराएं, बिना याचिकाकर्ता पर किसी प्रकार का दबाव डाले। यह मुख्य सचिव का दायित्व होगा कि याचिकाकर्ता को निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करें तथा यदि विभाग के किसी उच्च अधिकारी द्वारा उत्पीड़न किया गया हो, तो तत्काल कार्यवाही की जाए और उसकी सूचना इस न्यायालय को दी जाए। यह न्यायालय इस मामले को लंबित रखेगा जब तक कि जांच प्रक्रिया पूर्ण न हो जाए।

इस आदेश की प्रति इस न्यायालय के वरिष्ठ रजिस्ट्रार द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी जाए, ताकि अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, जिसके लिए तीन माह का समय प्रदान किया जाता है।

उपरोक्त परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को अनुमति दी जाती है कि वे श्री हिमांशु कुमार, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ तथा श्री राकेश कुमार, निदेशक, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ को प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 के रूप में वाद में सम्मिलित करें।

यह मामला विचार एवं परीक्षण योग्य है।

अपर सरकारी अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से नोटिस स्वीकार किया है।

प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 को नोटिस जारी किया जाए। प्रतिवादी संख्या 5 यह स्पष्ट करें कि उन्होंने दिनांक 19.05.2022 को याचिकाकर्ता के मानसिक परीक्षण का निर्देश किस आधार पर दिया। उन्हें इस संबंध में अपना व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करना होगा।

राज्य के अधिवक्ता को प्रतिवेदन दाखिल करने हेतु चार सप्ताह का समय दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 भी इसी अवधि में प्रतिवेदन दाखिल कर सकते हैं। प्रत्युत्तर शपथपत्र, यदि कोई हो, अगले दो सप्ताह में दाखिल किया जा सकता है।

मामले को 06.09.2022 को सूचीबद्ध किया जाए।

अगले आदेश तक, जांच जारी रह सकती है, किन्तु याचिकाकर्ता को थाना हजरतगंज, जनपद लखनऊ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध संख्या 0171/2022, धारा 384, 504, 506 भारतीय दंड संहिता तथा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 66 के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।”

5. तत्पश्चात, याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार एक जांच समिति गठित की गई। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष रिट-ए संख्या 4925 वर्ष 2022 भी दायर की, जिसमें दिनांक 06.08.2022 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए:

“याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुश्री छाया तथा राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री कुलदीप पति त्रिपाठी को सुना गया।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इस न्यायालय ने दिनांक 05.08.2022 के आदेश के माध्यम से इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा रिट याचिका संख्या 3076 वर्ष 2022 में पारित निर्देशों को संज्ञान में लिया है, जिसमें खंडपीठ का मत था कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव इस मामले का संज्ञान लेकर याचिकाकर्ता रेनु सिंह द्वारा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों की जांच करेंगे, बिना उन्हें किसी भी प्रकार से अधिकारियों के साथ समझौता करने के लिए बाध्य किए। यह भी कहा गया कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ का दायित्व होगा कि वे याचिकाकर्ता को निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करें तथा यदि विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का उत्पीड़न किया गया हो, तो तत्काल कार्यवाही की जाए और उसकी सूचना इस न्यायालय को दी जाए।

उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में राज्य से यह सूचित करने को कहा गया कि क्या मुख्य सचिव के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है। इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री कुलदीप पति त्रिपाठी ने स्पष्ट रूप से न्यायालय को अवगत कराया कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सभी शिकायतों पर कार्यवाही की जा रही है और उन्हें विधिवत मुख्य सचिव को प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि मुख्य सचिव ही इस मामले पर विचार करेंगे और आवश्यक होने पर उपयुक्त कार्यवाही करेंगे।

इस चरण पर याचिकाकर्ता की अधिवक्ता ने भी प्रस्तुत किया कि अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दिए गए वक्तव्य के आलोक में उनकी शिकायतों का पर्याप्त रूप से समाधान हो गया है।

यह देखते हुए कि राज्य का सर्वोच्च प्राधिकारी (मुख्य सचिव) ही याचिकाकर्ता की शिकायतों पर विचार करेगा, इस न्यायालय को कोई और आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः यह याचिका अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार निस्तारित की जाती है।”

6. इसके पश्चात दिनांक 27.08.2022 को एक आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी किए गए अटैचमेंट (सलगनता) आदेश को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश को रिट-ए संख्या 7575 वर्ष 2022, रेनु सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में चुनौती दी गई, जिसमें दिनांक 18.05.2022 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए:

“याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुश्री छाया गुप्ता तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से उपस्थित स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दिनांक 27.04.2022 को प्रतिवादी संख्या 2, निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पारित आदेश (याचिका के परिशिष्ट-1) तथा उसके परिणामस्वरूप पारित दिनांक 28.04.2022 के आदेश, जो प्रतिवादी संख्या 4, क्षेत्रीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, प्रयागराज द्वारा पारित किया गया (परिशिष्ट-2), को दी गई है।

अभिलेख से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक 16.12.2016 को समाज कल्याण विभाग में छात्रावास अधीक्षिका के रूप में हुई थी। सेवा के दौरान उन्हें राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय, कौड़िहार, प्रयागराज में कार्यवाहक अधीक्षिका का प्रभार वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों सहित सौंपा गया था।

उपरोक्त पद पर कार्यरत रहते हुए प्रतिवादी संख्या 2, निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक 27.04.2022 को एक नीतिगत निर्णय लिया गया।

दिनांक 27.04.2022 के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह निर्णय लिया गया कि किसी भी परिस्थिति में प्रधानाचार्य के पद का प्रभार किसी अन्य संवर्ग (सीअद्रे) के व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, बल्कि केवल वरिष्ठतम शिक्षक को ही यह प्रभार दिया जाएगा।

उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 4 ने दिनांक 28.04.2022 को आदेश पारित कर याचिकाकर्ता को राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय, कौड़िहार, प्रयागराज में कार्यवाहक अधीक्षिका के रूप में दिए गए अतिरिक्त प्रभार (वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों सहित) को वापस ले लिया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित आदेश स्पष्ट रूप से अवैध है। याचिकाकर्ता को दिनांक 16.08.2019 के आदेश के तहत उक्त प्रभार विधिवत सौंपा गया था और उनके विरुद्ध कोई अनियमितता या अवैधता नहीं पाई गई। साथ ही, दिनांक 28.04.2022 के आदेश में भी उक्त आदेश में कोई त्रुटि इंगित नहीं की गई है। यह भी कहा गया कि दिनांक 27.04.2022 का आदेश त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उसमें किया गया वर्गीकरण तार्किक आधार पर आधारित नहीं है।

इसके विपरीत, स्थायी अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा लिया गया निर्णय एक नीतिगत निर्णय है। नीतिगत निर्णयों की न्यायिक समीक्षा के मापदंड प्रशासनिक निर्णयों की तुलना में अधिक

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सीमित होते हैं। याचिकाकर्ता यह सिद्ध करने में असफल रही हैं कि उक्त नीतिगत निर्णय मनमाना है या संविधान के भाग-III के विरुद्ध है। अतः इसमें न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय का मत है कि दिनांक 27.04.2022 के आदेश में किया गया वर्गीकरण तार्किक आधार पर आधारित है तथा उसका विषय और उद्देश्य से उचित संबंध है।

ऐसी स्थिति में, न्यायालय को इस रिट याचिका पर विचार करने हेतु कोई उचित या न्यायोचित आधार नहीं मिलता। अतः रिट याचिका असफल होती है और निरस्त किए जाने योग्य है।

फलस्वरूप, इसे निरस्त किया जाता है।”

7. उक्त आदेश से आहत होकर, याचिकाकर्ता ने आंतरिक अपील (इंट्रा-कोर्ट अपील) के रूप में विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 477 वर्ष 2022 (ओ और एम), रेनू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य दाखिल की, जिसमें दिनांक 06.02.2023 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए:

“ 1. प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को संत रविदास नगर (भदोही) स्थित बालिका छात्रावास में पदस्थ किया जाएगा, जहाँ अपीलकर्ता के संवर्ग का पद उपलब्ध है।

2. प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा लिए गए उपर्युक्त रुख के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान अपील का निस्तारण किया जाता है, इस सीमा तक कि एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित आदेश में संशोधन किया जाता है।”

8. तथापि, तत्पश्चात दिनांक 28.02.2023 को समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निदेशक द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का स्थानांतरण इलाहाबाद/प्रयागराज से संत रविदास नगर कर दिया गया। उक्त आदेश को मुख्य रिट याचिका में चुनौती दी गई। इस पर दिनांक 24.03.2023 को इस न्यायालय ने एक विस्तृत अंतरिम आदेश पारित किया, जिसे यहाँ उद्धृत किया जा रहा है:

“याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता समाज कल्याण विभाग, प्रयागराज के अंतर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर स्थित राजकीय अनुसूचित जाति (बालिका) छात्रावास में अधीक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में याचिकाकर्ता ने 14.05.2022 को जनपद प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को उच्च अधिकारियों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत दी थी, किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके पश्चात याचिकाकर्ता के विरुद्ध धारा 384, 504, 506 भारतीय दंड संहिता तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा 66 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि उक्त प्राथमिकी को इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 3076 वर्ष 2022 में चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही, दिनांक 19.05.2022 को याचिकाकर्ता के मानसिक परीक्षण का आदेश दिया गया था, जिसे भी इस न्यायालय ने 26.05.2022 के आदेश द्वारा स्थगित कर दिया था।

इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई—

“हमने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित अपर सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।”

यह प्रस्तुत किया गया कि एफ.आई.आर. का साधारण अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप पूर्णतः अस्पष्ट एवं अनिश्चित प्रकृति के हैं और आरोपित धाराओं के अंतर्गत कोई मामला भी नहीं बनता। यह भी कहा गया कि एफ.आई.आर. याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 14.05.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को भेजे गए पत्र में कुछ विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के प्रतिशोधस्वरूप दर्ज की गई है, जो कि याचिका के परिशिष्ट संख्या-18 के रूप में अभिलेख पर उपलब्ध है।

पूरक शपथपत्र के परिशिष्ट एसए-1 के अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि दिनांक 19.05.2022 को समाज कल्याण निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट,

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2017 के अंतर्गत याचिकाकर्ता के चिकित्सीय (मानसिक स्वास्थ्य) परीक्षण हेतु कुछ निर्देश जारी किए गए थे।

तथापि, हमने याचिकाकर्ता रेनु सिंह, जो न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुईं, के साथ विस्तृत वार्ता की। इस दौरान कोई भी प्रतिकूल तथ्य सामने नहीं आया और याचिकाकर्ता पूर्णतः स्वस्थ, शांत एवं स्पष्ट मानसिक स्थिति में प्रतीत हुईं। अतः दिनांक 19.05.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को जारी किया गया निर्देश, अगले आदेश तक प्रभावी नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया, जिसके माध्यम से बिना किसी व्यक्तिपरक संतोष के कि याचिकाकर्ता के व्यवहार में कोई विचलन है, किसी नागरिक/याचिकाकर्ता की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाए, अत्यंत निंदनीय है।”

अभिलेख पर प्रस्तुत पूरक शपथपत्र तथा याचिका की सामग्री स्वयं यह संकेत करती है कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध कुछ दुर्भावना उत्पन्न की गई है।

याचिकाकर्ता रेनु सिंह 46 वर्ष की महिला हैं और उन्होंने उच्च अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसका प्रभाव उनके द्वारा दिनांक 14.05.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को भेजे गए पत्र (जो याचिका के परिशिष्ट-18 में संलग्न है) की सामग्री से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और कोई सार्थक कार्यवाही नहीं की गई। उक्त पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने विभाग के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध अत्यंत गंभीर आरोप लगाए हैं, जिन्हें हल्के से नहीं लिया जा सकता। अतः हम निर्देश देते हैं कि उपर्युक्त पत्र के आधार पर विधिवत जांच प्रारंभ की जाए तथा इस मामले की निगरानी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा की जाए। यह भी निर्देशित किया जाता है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा।”

उपरोक्त के दृष्टिगत, हम उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश देते हैं कि वे इस मामले का संज्ञान लें तथा याचिकाकर्ता रेनु सिंह द्वारा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों की जांच करें, बिना उन्हें किसी भी प्रकार से अधिकारियों के साथ समझौता करने के लिए बाध्य किए। यह मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ का दायित्व होगा कि वे याचिकाकर्ता को निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करें तथा यदि विभाग के किसी भी उच्च अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का उत्पीड़न किया गया हो, तो उसके विरुद्ध त्वरित कार्यवाही की जाए और उसकी सूचना इस न्यायालय को दी जाए। हम इस मामले को तब तक लंबित रखेंगे जब तक पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। इस आदेश की प्रति इस न्यायालय के वरिष्ठ रजिस्ट्रार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जाए, जिसके लिए तीन माह का समय प्रदान किया जाता है।”

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता को यह अनुमति प्रदान की जाती है कि वे श्री हिमांशु कुमार, मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश तथा श्री राकेश कुमार, निर्देशक, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 के रूप में पक्षकार बनाएं।

यह मामला हमारे विचार एवं परीक्षण की अपेक्षा करता है।

अपर सरकारी अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से नोटिस स्वीकार कर लिया है। प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 को नोटिस जारी किया जाए। प्रतिवादी संख्या 5 यह स्पष्ट करें कि उन्होंने दिनांक 19.05.2022 को पत्र जारी कर याचिकाकर्ता के मानसिक परीक्षण का निर्देश किस आधार पर दिया। इस संबंध में उन्हें अपना व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करना होगा।”

राज्य के अधिवक्ता को प्रतिउत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 4 और 5 भी इसी अवधि में अपना प्रतिउत्तर हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। यदि कोई प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करना हो, तो वह अगले दो सप्ताह के भीतर किया जा सकता है।

मामले को 06.09.2022 को सूचीबद्ध किया जाए।

अगले आदेश तक जांच जारी रह सकती है, लेकिन याचिकाकर्ता को उक्त एफ.आई.आर./केस क्राइम संख्या 0171/2022 (धारा 384, 504, 506 भा.दं.सं. एवं धारा 66 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008), थाना हजरतगंज, जनपद लखनऊ के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

यह प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 26.05.2022 को दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को याचिकाकर्ता द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि निर्देश दिए जाने के बावजूद आज तक जांच पूरी नहीं हुई है, जबकि याचिकाकर्ता तीन बार मुख्य सचिव के समक्ष उपस्थित हो चुकी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि अब याचिकाकर्ता के विरुद्ध स्थानांतरण का आदेश पारित कर दिया गया है। उनका कहना है कि उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने के बजाय संबंधित प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता का स्थानांतरण कर दिया, जबकि आदेश में यह दर्शाया गया है कि स्थानांतरण प्रशासनिक आधार

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पर किया गया है। अधिवक्ता का तर्क है कि जब उच्च अधिकारियों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच चल रही है, तब इस समय याचिकाकर्ता का स्थानांतरण उचित नहीं है, विशेष रूप से इसलिए कि जांच अभी लंबित है।

राज्य के अधिवक्ता ने जांच रिपोर्ट तथा दिनांक 26.05.2022 को इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्यवाही प्रस्तुत करने हेतु समय मांगा, जिसे न्यायालय ने प्रदान कर दिया। यदि जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अथवा उनके द्वारा अधिकृत कोई सक्षम अधिकारी (जो सचिव स्तर से नीचे का न हो) अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसमें यह बताया जाएगा कि न्यायालय के दिनांक 26.05.2022 के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया, और इतनी गंभीर प्रकृति के आरोप (एक महिला कर्मचारी द्वारा अपने उच्च अधिकारियों के विरुद्ध) होने के बावजूद जांच समयबद्ध तरीके से क्यों पूरी नहीं की गई।

यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य सरकार कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य है। यदि इस प्रकार के कोई आरोप लगाए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करें।

मामले को 28.03.2023 को पुनः सूचीबद्ध किया जाए।

अगली सुनवाई तक, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 28.02.2023 के विवादित स्थानांतरण आदेश का प्रभाव और संचालन स्थगित रहेगा।

9. याचिकाकर्ता के अनुसार, दिनांक 13.06.2025 को प्रथम प्रतिवादी, अर्थात् प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता का स्थानांतरण प्रयागराज से जनपद बानपुर देहात कर दिया गया। उक्त स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने एक संबंधित रिट याचिका दाखिल की, जिसमें दिनांक 04.07.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

- “1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण एक शिकायत के आधार पर किया गया था, लेकिन जांच करने पर वह शिकायत झूठी और निराधार पाई गई। इसलिए स्थानांतरण आदेश निरस्त (रद्द) किए जाने योग्य है।
2. राज्य के अधिवक्ता ने इस मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा।
3. इस मामले को 05.08.2025 को सूचीबद्ध किया जाए।

10. दिनांक 14.07.2025 को, 04.07.2025 के आदेश में संशोधन किया गया और निम्नलिखित

आदेश पारित किए गए:

संशोधन आवेदन के संबंध में

सुना गया।

यह संशोधन आवेदन मेरे दिनांक 04 जुलाई 2025 के आदेश में सुधार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। अनजाने में आदेश का स्थगन वाला भाग, यद्यपि स्टैनोग्राफर की नोटबुक के दूसरे पृष्ठ पर दर्ज था, लेकिन टाइप नहीं हो पाया।

उपरोक्त के दृष्टिगत, संशोधन आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अनुच्छेद 3 के बाद एक नया अनुच्छेद संख्या 4 जोड़ा जाता है, जो इस प्रकार होगा:

“इस बीच, न्यायालय के अगले आदेश तक, यदि याचिकाकर्ता को अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है, तो दिनांक 13.06.2025 के स्थानांतरण आदेश के आधार पर उसे कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।”

11. याचिकाकर्ता के अनुसार, वह कार्यमुक्त नहीं की गई थी क्योंकि वह आकस्मिक अवकाश और चिकित्सीय अवकाश पर थी। इसके बावजूद, प्रतिवादियों ने दिनांक 17.06.2025 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को उसकी अनुपस्थिति में कार्यमुक्त कर दिया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने एक अन्य संबंधित सी-2 रिट याचिका दायर की, जिसमें उसने परमादेश की प्रार्थना की कि प्रतिवादी संख्या 5, अर्थात् जिला समाज कल्याण अधिकारी, विकास भवन, प्रयागराज को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करने की

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अनुमति दें, क्योंकि दिनांक 13.06.2025 का स्थानांतरण आदेश उसे कभी विधिवत प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए उसे कार्यमुक्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने एक और रिट याचिका संबंधित सी-3 दायर की, जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रयागराज याचिकाकर्ता को रजिस्टर में हस्ताक्षर करने की अनुमति दें, उसे छात्रावास अधीक्षक का कार्य आवंटित करें, तथा उसे प्रति माह वेतन का भुगतान किया जाए।

12. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री कृपा शंकर पाण्डेय ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 28.02.2023 का स्थानांतरण आदेश (जिससे याचिकाकर्ता को प्रयागराज/इलाहाबाद से संत रविदास नगर भेजा गया) तथा दिनांक 13.06.2025 का स्थानांतरण आदेश (जिससे उसे कानपुर देहात भेजा गया) — दोनों ही आदेश एक क्षण के लिए भी टिक नहीं सकते और अवैध हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को हर स्तर पर परेशान करने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। यह कहा गया कि जब 28.02.2023 का स्थानांतरण आदेश इस न्यायालय द्वारा 24.03.2023 को स्थगित कर दिया गया था, तब बिना न्यायालय की अनुमति के याचिकाकर्ता का पुनः स्थानांतरण करना वैध नहीं था। यह भी कहा गया कि 28.02.2023 के स्थानांतरण आदेश को स्थगित करने का मुख्य कारण था: याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज एफ.आई.आर. (धारा 384, 504, 506 आईपीसी एवं आई.टी. एक्ट की धारा 66), तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 से संबंधित लंबित जांच। अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता को बार-बार न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा और उसे न्यायालय से राहत भी मिली, लेकिन अब उसे हटाकर करके जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक 13.06.2025 के स्थानांतरण आदेश का प्रश्न है, अधिवक्ता का कहना है कि यह आदेश पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण है, इसमें कानून और तथ्य दोनों में दुर्भावना है। यह भी तर्क दिया गया कि 27.05.2025 की विभागीय परिपत्र के अनुसार स्थानांतरण से पहले विकल्प दिए जाने चाहिए थे, लेकिन याचिकाकर्ता को यह अवसर नहीं दिया गया। आगे कहा गया कि यह स्थानांतरण 30.05.2025 की एक शिकायत के आधार पर किया गया था, जो जांच में झूठी और मनगढ़ंत पाई गई। अधिवक्ता ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता ने 10.06.2025 को आवेदन देकर 11.06.2025 से 13.06.2025 तक आकस्मिक अवकाश लिया था, जिसे स्वीकृत किया गया, इसके बावजूद प्रतिवादी यह कह रहे हैं कि उसे 17.06.2025 को कार्यमुक्त कर दिया गया, जो स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को कभी भी स्थानांतरण आदेश की सूचना नहीं दी गई, आदेश की विधिवत सेवा नहीं हुई, इसलिए उसे कार्यमुक्त करना गलत है। इस संबंध में निम्न दस्तावेजों का हवाला दिया गया: 02.07.2025 का अंडर सेक्रेटरी का पत्र, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता कार्यमुक्त नहीं हुई है और कार्यरत है, 10.07.2025 का पत्र, जिसमें स्थानांतरित कर्मचारियों की जॉइनिंग की जानकारी मांगी गई है और उसमें याचिकाकर्ता का नाम भी है, 21.07.2025 का पत्र, जिसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता ने 11.06.2025 से 24.06.2025 तक आकस्मिक अवकाश और 25.06.2025 से 06.07.2025 तक चिकित्सीय अवकाश लिया। इस आधार पर यह कहा गया कि याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसे स्थानांतरण आदेश की जानकारी ही नहीं दी गई थी, खासकर जब वह अवकाश पर थी। अंततः अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह स्थानांतरण आदेश कानून और तथ्य दोनों में दुर्भावना का घोर दुरुपयोग है। उन्होंने सोमेश तिवारी बनाम भारत संघ (2009) 2 एससीसी 592 के निर्णय पर भी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



भरोसा किया। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि 28.02.2023 और 13.06.2025 के स्थानान्तरण आदेश अवैध और दुर्भावनापूर्ण हैं, तो याचिकाकर्ता को उसी स्थिति में बहाल किया जाना चाहिए, जिस स्थिति में वह इन आदेशों से पहले थी।

13. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा किए गए तर्कों का खंडन करते हुए, श्री गौरव सिंह एवं श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, विद्वान स्थायी अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कोई भी तर्क टिकाऊ नहीं हैं तथा याचिकाकर्ता का मामला कमजोर है। उनका कहना है कि याचिकाकर्ता एक स्थानान्तरणीय पद पर कार्यरत है और स्थानान्तरण आदेश उस सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है जिसे ऐसे आदेश पारित करने का अधिकार है। यह भी कहा गया कि नियुक्ति के पश्चात याचिकाकर्ता 26.08.2010 से 14.07.2014 तक मिर्जापुर में तथा 15.07.2014 से 17.06.2025 तक कौड़िहार, प्रयागराज में कार्यरत रही। अतः याचिकाकर्ता को यह कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह अपनी सुविधा के अनुसार किसी स्थान पर बनी रहे। यह भी तर्क दिया गया कि यद्यपि 28.02.2023 को याचिकाकर्ता का स्थानान्तरण प्रयागराज से संत रविदास नगर किया गया था, जिसे न्यायालय ने 24.03.2023 को स्थगित कर दिया था, किन्तु वह अंतरिम आदेश स्थायी प्रभाव वाला नहीं माना जा सकता। विशेषकर जब स्थानान्तरण एक विशेष ट्रांसफर सत्र से संबंधित होते हैं और प्रत्येक नए वर्ष में नई स्थानान्तरण नीति लागू होती है, तो पूर्व वर्ष में स्थगित स्थानान्तरण आदेश के आधार पर नियोक्ता के स्थानान्तरण के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। जहाँ तक 13.06.2025 के स्थानान्तरण आदेश (प्रयागराज से कानपुर देहात) का संबंध है, राज्य के अधिवक्ताओं के अनुसार यह पूर्णतः विधिसम्मत है। भले ही कुछ व्यक्तियों द्वारा शिकायत की गई हो और वह जांच में असत्य पाई गई हो, फिर भी स्थानान्तरण जनहित में किया गया है। यह भी कहा गया कि 06.05.2025 की स्थानान्तरण नीति के क्लॉज 11(i) के अनुसार, स्थानान्तरित कर्मचारी को एक सप्ताह के भीतर नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होता है। 13.06.2025 को स्थानान्तरण आदेश पारित हुआ, जबकि संबंधित सी-1 याचिका 30.06.2025 को दायर की गई और 04.07.2025 (सुधार के साथ 14.07.2025) को अंतरिम आदेश पारित हुआ। उससे पहले ही 17.06.2025 को याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त कर दिया गया था। इसी कारण न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में यह शर्त जोड़ी कि यदि याचिकाकर्ता को पहले से कार्यमुक्त नहीं किया गया है, तभी उसे कार्यमुक्त न किया जाए। आगे यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता ने 10.06.2025 को 11.06.2025 से 13.06.2025 तक आकस्मिक अवकाश लिया था, जिसे स्वीकृत किया गया। इसके बाद 16.06.2025 से 20.06.2025 तक का अवकाश माँगा गया, जो स्वीकृत नहीं हुआ। तत्पश्चात 24.06.2025 को पुनः अवकाश का आवेदन दिया गया, जो भी स्वीकृत नहीं हुआ। चूँकि याचिकाकर्ता ने स्थानान्तरण के पश्चात निर्धारित 7 दिनों की अवधि में नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया, इसलिए 17.06.2025 को उसे कार्यमुक्त कर दिया गया। अंत में यह भी स्पष्ट किया गया कि 10.07.2025 के निदेशक, समाज कल्याण के पत्र का जो हवाला याचिकाकर्ता दे रही है, वह इस बात को स्वीकार नहीं करता कि याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त नहीं किया गया था, बल्कि वह पत्र केवल विभिन्न जिलों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों से यह जानकारी माँगने के लिए था कि स्थानान्तरित कर्मचारी नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं या नहीं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



14. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

15. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह निर्विवाद है कि 28.02.2023 के स्थानांतरण आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को इलाहाबाद/प्रयागराज से संत रविदास नगर स्थानांतरित किया गया था, के विरुद्ध दायर मुख्य रिट याचिका में 24.03.2023 को आदेश पारित हुआ, जिसमें उक्त स्थानांतरण आदेश पर स्थगन दिया गया और याचिकाकर्ता इलाहाबाद/प्रयागराज में ही कार्यरत रही। किन्तु, 13.06.2025 को एक अन्य स्थानांतरण आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को इलाहाबाद/प्रयागराज से कानपुर देहात स्थानांतरित किया गया। उक्त आदेश, उसके वर्णन से स्पष्ट है कि जनहित में पारित किया गया था, हालांकि याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह एक ऐसी शिकायत के आधार पर किया गया जो अस्तित्वहीन थी। प्रतिवादियों के अनुसार, याचिकाकर्ता को 17.06.2025 को कार्यमुक्त कर दिया गया था, जबकि याचिकाकर्ता इस बात का खंडन करते हुए कहती है कि 04.07.2025/14.07.2025 को पारित अंतरिम आदेश (संबंधित सी-1 रिट याचिका) के समय उसे कार्यमुक्त नहीं किया गया था। अतः पक्षकारों के बीच मुख्य विवाद यह है कि याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त किया गया था या नहीं। यह न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, विस्तृत तथ्यात्मक विवादों में जाने के लिए बाध्य नहीं है। बल्कि यह देखना पर्याप्त है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया मूल्यांकन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है या नहीं कि कार्यमुक्ति हुई थी या नहीं। रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 13.06.2025 को स्थानांतरण आदेश पारित हुआ तथा याचिकाकर्ता ने 10.06.2025 के पत्र द्वारा 11.06.2025 से 13.06.2025 तक आकस्मिक अवकाश का आवेदन किया, जिसे स्वीकृत कर दिया गया। किन्तु 16.06.2025 से 20.06.2025 तक के लिए याचिकाकर्ता द्वारा पुनः अवकाश आवेदन किया गया, जिसे स्वीकृत नहीं किया गया, क्योंकि उसके समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार 24.06.2025 के लिए भी एक अन्य अवकाश आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो रिकॉर्ड के अनुसार स्वीकृत नहीं हुआ। उपरोक्त घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि 14.06.2025 के बाद की कोई भी छुट्टी स्वीकृत नहीं थी। इसके पश्चात 17.06.2025 को याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त किए जाने की बात कही गई है। हालांकि संबंधित सी-1 रिट याचिका 30.06.2025 को दायर की गई और 04.07.2025/14.07.2025 को अंतरिम आदेश पारित हुआ, जिसमें यह शर्त जोड़ी गई कि यदि याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त नहीं किया गया है, तो उसे कार्यमुक्त न किया जाए। इन परिस्थितियों से यह भी स्पष्ट होता है कि जब प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त करने का प्रयास किया, उस समय ऐसा कोई दस्तावेज या अभिलेख उपलब्ध नहीं था जिससे यह सिद्ध हो कि याचिकाकर्ता स्वीकृत अवकाश पर थी। इसके अतिरिक्त, 06.05.2025 की स्थानांतरण नीति के अनुसार, स्थानांतरित कर्मचारी को एक सप्ताह के भीतर नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक है। यद्यपि किसी कर्मचारी के लिए यह कहना संभव है कि वह बीमारी या अन्य कारणों से कार्यभार ग्रहण नहीं कर सका, किन्तु इस लाभ को प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत होना आवश्यक है, अन्यथा उसे अनधिकृत अनुपस्थिति माना जाएगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



16. यद्यपि इस न्यायालय के लिए इस मामले में विस्तृत या अनावश्यक जाँच करना आवश्यक नहीं

है, तथापि 10.07.2025 को संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) द्वारा राज्य के समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को भेजे गए पत्र का सूक्ष्म अवलोकन, जिस पर याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से भरोसा किया है, यह दर्शाता है कि उसमें सामान्य रूप से यह जानकारी माँगी गई थी कि स्थानांतरित कर्मचारियों ने अपने स्थानांतरण स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया है या नहीं। उक्त दस्तावेज को केवल याचिकाकर्ता से संबंधित नहीं माना जा सकता, क्योंकि 06.05.2025 की स्थानांतरण नीति के क्लॉज 11(1) तथा स्थानांतरण की शर्तों के अनुसार, स्थानांतरित कर्मचारी को पद ग्रहण करना आवश्यक है, जब तक कि उसके पास ऐसा न करने का कोई वैध कारण न हो। जहाँ तक 02.07.2025 को उप सचिव द्वारा निदेशक, समाज कल्याण को भेजे गए पत्र का संबंध है, वह भी विशेष महत्व का नहीं माना जा सकता, विशेषकर तब जब याचिकाकर्ता उस अवधि में बिना किसी स्वीकृति के अवकाश पर थी। यद्यपि याचिकाकर्ता के स्थानांतरण को लेकर दुर्भावना और विधि व तथ्यों के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं, किन्तु जब स्थानांतरण आदेश जनहित में पारित किया गया है, तब इन आरोपों की गहराई से जाँच करना आवश्यक नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा 30.05.2025 के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के पत्र पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि स्थानांतरण हेतु की गई शिकायत जाली और काल्पनिक थी, किन्तु इस न्यायालय के लिए उसमें भी गहराई से जाना आवश्यक नहीं है, विशेषकर तब जब याचिकाकर्ता 15.07.2014 से 17.06.2025 तक इलाहाबाद में कार्यरत रही है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों की भी जाँच करना आवश्यक नहीं है, विशेष रूप से तब जब 23.05.2025 का एक आदेश उपलब्ध है, जिसमें आरोपित अधिकारियों को आरोपों से मुक्त कर दिया गया है, जिसकी प्रति मुख्य रिट याचिका में दायर प्रतिउत्तर हलफनामे के परिशिष्ट-2 (पृष्ठ-12) के रूप में संलग्न है।

17. उपर्युक्त चर्चा के परिप्रेक्ष्य में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता एक स्थानांतरणीय पद पर कार्यरत है तथा 14.07.2005 से लेकर विवादित आदेश दिनांक 13.06.2025 तक इलाहाबाद/प्रयागराज में ही तैनात रही है, न्यायालय को हस्तक्षेप करने हेतु कोई उचित आधार नहीं मिलता है। अतः, मुख्य संबंधित सी-1, संबंधित सी-2 तथा संबंधित सी-3 सभी रिट याचिकाएँ निरस्त की जाती हैं।

18. इस चरण पर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निर्देशानुसार प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता 09.02.2026 तक स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लेगी तथा प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे 13.06.2025 से 09.02.2026 तक की अवधि का वेतन याचिकाकर्ता को प्रदान करें।

19. इस चरण पर, श्री गौरव सिंह एवं श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, विद्वान स्थायी अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि प्राधिकरण याचिकाकर्ता की शिकायत/मांग पर विचार करेगा, बशर्ते कि याचिकाकर्ता स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर ले।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



20.09.02.2026 तक स्थानांतरित पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात, याचिकाकर्ता के लिए यह खुला रहेगा कि वह मौद्रिक लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिसे विधि के अनुसार सख्ती से विचार किया जाएगा।

जनवरी 28, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"